भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *163
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना

*163. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की विशेषताएं और ब्यौरा क्या है तथा तमिलनाडु में इस योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कुल कितनी राशि संवितरित की गई और अब तक कितनी किश्तों का भुगतान किया गया ;

(ग) पीएम-किसान योजना के तहत किसानों की पहचान और पंजीकरण के लिये क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं;

(घ) विशेष रूप से तमिलनाडु कें ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों में पीएम-किसान योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचने में क्या - क्या चुनौतियाँ आ रही हैं ; और

(ङ) क्या तमिलनाडु में पीएम-किसान योजना के तहत और अधिक किसानों को शामिल करने या इसका कवरेज बढ़ाने और इसके कार्यान्वयन को बेहतर करने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)
(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में श्री थरानिवेंथन एम. एस., सांसद द्वारा उठाए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 163 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में दिया गया विवरण, जिसका उत्तर 11-03-2025 को दिया जाना है।

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रारम्भ किया था। इस योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डी.बी.टी. (DBT) के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष रुपये 6,000 का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, कृषि योग्य भूमिधारक सभी किसान उच्च आय समूहों से संबंधित कुछ बहिष्करण मानदंडों के अधीन, योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं । योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों की पहचान व सत्यापन करने और पात्र किसानों का विवरण पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करने की ज़िम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही जारी किया जाए, योजना में भूमि सीडिंग, बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग और ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया। योजना के लाभ का भुगतान करने से पहले, किसानों के विवरण को आधार, पीएफएमएस (PFMS) और आयकर आदि जैसे उपलब्ध डिजिटल तकनीकी माध्यमों से सत्यापित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के देश भर के सभी पात्र किसानों तक सीधे पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 19 किस्तों में किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है। पीएम-किसान योजना की 19$^{वीं}$ किस्त के अंतर्गत 24 फरवरी 2025 को 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की गई, जिसमें

से तमिलनाडु के 22.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 490 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का लाभ 19वीं किस्त में मिला ।

(घ) और (ङ): यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र किसान योजना से छूट न जाए, भारत सरकार अक्सर राज्य सरकारों के समन्वय से सेचुरेशन अभियान चलाती है । विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के अंतर्गत तमिलनाडु सहित पूरे देश में 15 नवंबर 2023 से राष्ट्रव्यापी सेचुरेशन अभियान चलाया गया, जिसके दौरान 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के अंतर्गत, पीएम-किसान योजना के तहत लगभग 25 लाख पात्र किसानों को और जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, स्व-पंजीकरण के लंबित मामलों को निपटाने के लिए सितंबर 2024 से एक विशेष अभियान चलाया गया । अभियान की शुरुआत से अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 30 लाख से अधिक लंबित स्व-पंजीकरण मामलों को मंजूरी दी गई है। इन अभियानों के परिणाम स्वरूप, तमिलनाडु में 2.26 लाख से अधिक नए किसानों को पीएम-किसान योजना से जोड़ा गया ।

भारत सरकार और राज्य सरकारें देश भर में पीएम-किसान के प्रचार-प्रसार के लिए कई गतिविधियाँ चलाती हैं, जिनमें नियमित अंतराल पर समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, सोशल मीडिया के माध्यम से आउटरीच, डीडी किसान पर कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय प्रचार /जागरूकता अभियान सहित पीएम-किसान के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासनिक खर्च भी प्रदान करता है।

*****